<u>कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बस्ती</u>

सं0–   /एक–21–2013/परिवार न्यायालय/दिनांकः बस्तीः   मई, 2019

<u>कार्यालय विज्ञप्ति</u>

उत्तर प्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियमावली 1995 के नियम 26 (1) के अधीन परामर्शदाता (काउन्सलर) की नियुक्ति के लिए शासनादेश सं0–102/सात–न्याय–2–2015–728–86 दिनांकित 18.06.2015 में उल्लिखित शर्तो के अधीन अर्ह अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित कर उ0प्र0 शासन को अग्रसारित करने का निर्देश माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं0–6221/एडमिन. 'जी– I'/2019 दिनांकित 14.05.2019 के द्वारा दिया गया है।

तद्नुसार कुटुम्ब न्यायालय में परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए आवेदन की तिथि को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु सीमा 35 से 65 वर्ष एवं शैक्षिक अर्हता समाजशास्त्र या मनोविज्ञान में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए तथा उसे समाज सेवा का अनुभव हो। जो आवेदक सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री धारक है और पारिवारिक कौन्सिलिंग में जिन्हें दो वर्ष का अनुभव है, उन्हें वरीयता दी जायेगी। परामर्शदाता का कार्यकाल प्रारम्भ में तीन वर्ष होगा। परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नही मानी जायेगी और वे न्यायालय से संविदा के आधार पर सम्बद्ध रहेगें तथा नियुक्ति के फलस्वरूप परामर्शदाता को 6000/– रू0 मानदेय प्रतिमाह देय होगा।

आवेदन पत्र में निम्न विवरण उल्लिखित तथा शैक्षिक योग्यता का सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है–

<u>प्रारूप</u>

नवीनतम फोटोग्राफ

1. नाम–
2. पिता का नाम–
3. स्थायी पता–
4. पत्र व्यवहार का पता–
5. जन्म तिथि–   शब्दो में–

   (अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.05.2019 के अनुसार)
6. शैक्षिक अर्हता–
7. अन्य शैक्षिक अर्हता–

समस्त विवरण सहित आवेदन पत्र दो प्रतियों में दिनांक 04.06.2019 को सायं 3:00 बजे तक जनपद न्यायालय बस्ती के प्रशासनिक कार्यालय में प्रत्येक कार्य दिवस को प्राप्त किये जायेगें। अन्तिम तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नही किया जायेगा।

प्रभारी अधिकारी, प्रशासन/प्रथम,
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्ती।

पृ0सं0—   /एक—21—2013/परिवार न्यायालय/दिनांकः   बस्तीः   मई, 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1— जिलाधिकारी बस्ती

2— सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बस्ती।

3— अध्यक्ष/सचिव, समस्त अधिवक्ता संघ, जनपद मुख्यालय बस्ती/तहसील मुख्यालय—भानपुर, हरैया, रूधौली बस्ती

4— अध्यक्ष, परिवार परामर्श केन्द्र, कलेक्ट्रेट परिसर बस्ती।

5— जिला सूचना अधिकारी बस्ती को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना का प्रचार—प्रसार अपने स्तर से सुनिश्चित करें।

6— सिस्टम आफीसर, जनपद न्यायालय बस्ती को इस निर्देश के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को जनपद न्यायालय के वेबसाइट पर अपलोड करें।

प्रभारी अधिकारी, प्रशासन/प्रथम,
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बस्ती।

नोट— 1— इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र के अन्त में अपना स्पष्ट हस्ताक्षर एवं आरक्षित वर्ग के लिए प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत करेगें। अहस्ताक्षरित आवेदन पत्रों पर कोई विचार नही किया जायेगा।

2— इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र एवं उससे सम्बन्धित सूचना जनपद न्यायालय बस्ती की वेबसाइट www.districts.ecourts.gov.in/basti से भी प्राप्त कर सकते है।